आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Women and Child Development Department, Himachal Pradesh

Financial Assistance to the Rape Victim

हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजना, जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं को तीन किस्तों में राशि देती है।

क्या मिल सकता है

75,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और शुरुआती जाँच के बाद मिलती है। दूसरी किस्त सहायता सेवाओं के लिए है। तीसरी किस्त गवाही पूरी होने पर या एक साल बाद मिलती है।

किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश की वे महिलाएँ जो बलात्कार की पीड़िता हैं।

मुख्य शर्तें

- योजना पेज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को लाभार्थी बताया गया है।
- पहली किस्त के लिए एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और शुरुआती जाँच का पूरा होना ज़रूरी है।
- तीसरी किस्त गवाही पूरी होने के बाद, या एक साल बाद दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://hpkangra.nic.in/scheme/financial-assistance-to-the-rape-victim/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-financial-assistance-rape-victim/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।